

आज से मनरेगा की दैनिक मजदूरी 162 रुपये

पटना ■ बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को अब 162 रुपये दैनिक मजदूरी दी गयी है. राज्य सरकार हर मजदूर को अपने कोष से निर्धारित राशि के अलावा 24 रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी. मंगलवार से नयी दर पूरे राज्य में लागू कर दी गयी. बड़े राज्यों में बिहार पहला राज्य है, जिसने अपने यहां के मजदूरों को इतनी बड़ी राशि देने का फैसला किया है. ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि मनरेगा के तहत केंद्र से स्वीकृत 138 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाती थी. इधर, राज्य सरकार ने पहली अप्रैल से अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 162 रुपये निर्धारित कर दी. राज्य सरकार का हर साल 500 करोड़ रुपये सलाना खर्च करने होंगे.

